



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8158 वर्ष 2026

नैनसी और एक अन्य

.....याची(गण)

बनाम

धीर सिंह और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश चंद्र शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अवध प्रताप सिंह शिसोदिया

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध प्रताप सिंह शिसोदिया के साथ श्री राहुल कुमार त्यागी को सुना।
2. याचीगण विक्रय विलेख को रद्द करने और व्यादेश के वाद में वादी हैं। विचारण न्यायालय ने व्यादेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों को वाद की विषय-वस्तु बनने वाली संपत्ति पर वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया। इस आदेश को प्रत्यर्थी संख्या 1-धीर सिंह द्वारा विविध सिविल अपील संख्या 9 वर्ष 2026 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे जिला न्यायाधीश, बागपत द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और व्यादेश आदेश को अपास्त कर दिया गया है, तथापि, पक्षकारों को विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निदेश दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया है कि संपत्ति एक गुरमीत की थी, जो अवयस्क था और लेखपाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश होने पर जिससे गुरमीत के दादा को संरक्षक नियुक्त किया गया था, किंतु संपत्ति को गुरमीत के पिता, अर्थात् नरेंद्र द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में बेच दिया गया था और, इसलिए, यह विक्रय अमान्य था। आगे यह निवेदन किया गया है कि विक्रय विलेख के पक्षकारों के बीच विक्रय प्रतिफल का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था और इस कारण से भी, विक्रय विलेख रद्द किए जाने योग्य है।
4. व्यादेश के अभिवाक् के संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाहियों पर आधारित है और अपीलीय न्यायालय ने वाद पत्र को त्रुटिपूर्ण ढंग से पढ़ा है जो यह इंगित करता है कि वाद केवल स्थायी व्यादेश के लिए दाखिल किया गया है न कि स्वामित्व की घोषणा के लिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है, चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 कभी भी संपत्ति पर काबिज नहीं हुआ, इसलिए यथास्थिति के आदेश की आड़ में, वह कब्जा कर लेगा जिससे याचीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जो कि महिलाएं हैं। अभिवेदनों के दौरान विभिन्न दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया है।
5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि वाद का मूल ढांचा कम से कम नरेंद्र सिंह और गुरमीत सिंह की मृत्यु के पश्चात त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान याचीगण नरेंद्र सिंह की विवाहित पुत्रियां हैं, इसलिए नरेंद्र सिंह की मृत्यु के पश्चात संपत्ति उन्हें वापस (revert) नहीं मिलेगी और इसलिए, उनका कोई दावा नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि लेखपाल और तहसीलदार को किसी भी व्यक्ति के संरक्षकत्व के संबंध में घोषणा करने की कोई शक्ति/क्षमता प्राप्त नहीं है और, अन्यथा भी, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2018 को खतौनी पर पृष्ठांकित किया गया था जो यह दर्शाता है कि गुरमीत के वयस्क होने तक तहसीलदार द्वारा विक्रय पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि विवादित विक्रय विलेख 04.10.2017 को निष्पादित किया गया था, अतः कम से कम उस समय अधिकारिता के साथ या उसके बिना, कोई रोक आदेश नहीं था जो विक्रय के विरुद्ध प्रभावी हो सकता था।
6. आगे यह निवेदन किया गया है कि नामांतरण कार्यवाहियों से उत्पन्न मामला राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का गहन विश्लेषण करने के पश्चात,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलीय न्यायालय ने पूर्ण व्यादेश के आदेश को यथास्थिति के आदेश में परिवर्तित कर दिया है, जिससे किसी भी पक्षकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे विवादित संपत्ति सुरक्षित और संरक्षित रहेगी।

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि चूंकि नरेंद्र वादी गुरमीत का नैसर्गिक संरक्षक था, इसलिए संरक्षकत्व की घोषणा एक अप्रासंगिक पहलू है और नैसर्गिक संरक्षक सदैव संरक्षकत्व के संबंध में घोषणा के अभाव में भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। डोली बनाम शकुंतला देवी: 2026 एससीसी ऑनलाइन ऑल 1156 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
8. मैंने किए गए निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।
9. उठाए गए विवाद की प्रकृति केवल विक्रय विलेख के निष्पादन पर ही नहीं बल्कि दो व्यक्तियों, अर्थात् गुरमीत और उसके पिता नरेंद्र की मृत्यु के कारण पक्षकारों पर अधिकारों के न्यागमन पर भी आधारित है। याचीगण स्वर्गीय नरेंद्र सिंह की पुत्रियां हैं और विवादित संपत्ति कृषि भूमि होने के कारण, वाद के लंबन के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु के समय पर विचार करते हुए यह सदैव एक अवधारणीय प्रश्न है कि क्या विवाहित पुत्रियां होने के नाते याचीगण के पक्ष में कोई अधिकार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, जहां तक व्यादेश के दावे का प्रश्न है, यह स्वीकृत है कि नामांतरण प्रविष्टियों के संबंध में विवाद राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है और परिषद द्वारा क्या आदेश पारित किए गए हैं, यह इस न्यायालय के समक्ष नहीं है।
10. जहां तक वाद पत्र को पढ़ने के संबंध में तर्क का प्रश्न है, यद्यपि आदेश के पैरा-19 में, अपीलीय न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि वाद व्यादेश के अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है, आदेश के पैरा-20 में विक्रय विलेख की चुनौती को इंगित किया गया है और अपीलीय न्यायालय ने सभी संभावित दृष्टिकोणों से मामले का विश्लेषण किया है, अर्थात् वास्तविक और भौतिक कब्जे पर आधारित अभिवाक्, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाहियों का प्रभाव जो सदैव वाद की कार्यवाहियों के अधीन होती हैं, राजस्व परिषद के समक्ष लंबित मामले, व्यादेश के दावे की प्रकृति और साथ ही संरक्षकत्व के संबंध में रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में विक्रय विलेख का रद्दीकरण।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर और यह निष्कर्ष लेखबद्ध करते हुए कि यदि वाद लंबित रहने के दौरान संपत्ति को संरक्षित नहीं किया जाता है, तो इससे किसी न किसी पक्षकार को क्षति होगी, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है।
12. न्यायालय के मत में, विवाद की प्रकृति पर विचार करते हुए, इस प्रक्रम पर, जहां विक्रय विलेख को रद्द करने के दावे के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यदि अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निदेश दिया है और वादीगण को पूर्ण व्यादेश का अनुतोष देने से इनकार किया है जो विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था, तो यह न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, अन्यथा कई अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी।
13. मामले के किसी अन्य पहलू पर कोई मत व्यक्त किए बिना और विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए जाने वाले सभी तर्कों को खुला छोड़ते हुए, याचिका इस निदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि विचारण न्यायालय बार के सदस्यों और पक्षकारों के सहयोग के अधीन, अधिमानतः पाक्षिक आधार पर संक्षिप्त तिथियां नियत करके और कड़ाई से विधि के अनुसार **31.03.2027** तक वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करे।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति)

जून 3, 2026

एके शुक्ला/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।